

बाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम पोरडा जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 111 में दर्ज खातेदार/बादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जाये।

दस्तावेज संख्या	शुद्ध धारा 136 के अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
111	रामबाबु पुत्र वीरमलाल सं. 189 जाति- मेघवाल रामबाबु पुत्र वीरमलाल सं. 189 जाति- मेघवाल सांटेड खातेदार	111	रामबाबु पुत्र वीरमलाल सं. 189 जाति-मेघवाल रामबाबु पुत्र वीरमलाल सं. 189 जाति-मेघवाल सांटेड खातेदार	रामबाबु पुत्र वीरमलाल सं. 4783 जाति- 34960 मेघवाल सांटेड खातेदार

बादी एवं महालान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण


1. रामबाबु पुत्र वीरमलाल मेघवाल
2. रामबाबु पुत्र वीरमलाल मेघवाल
3.
4.

हस्ताक्षर

रामबाबु
सांटेड


रिपोर्ट पटवारी

बादी/प्राप्ति के बाद पत्र के अनुसार ग्राम पोरडा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में सी गई जानकारी /शुद्ध प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार बादी खातेदार घोषित होने योग्य है।


हस्ताक्षर पटवारी
प०म०. 07.24

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


भूअभिलेख निरीक्षक
भूअभिलेख निरीक्षक
07.24

शिफोट तहसीलदार/परीकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय, जांच शिफोट परतारी पूर्व मूअमिलेख विरीकक अनुसार माम 7/25 के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नुटीपूर्ण इन्दाज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। शिफोट सावर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (मु.अ.)
पिडवा नि. झालावाड

आदेश

न्यायालय सपखण्ड अधिकारी पिडवा जिला झालावाड राज

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/396

दिनांक : 06/12/25

वादी/प्राथी के माम 7/25 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नुटीपूर्ण इन्दाज को तहसीलदार 1/1/25 की सवत जांच शिफोट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित नुटीपूर्ण इन्दाज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना रसीकार किया जाता है। तहसीलदार 1/1/25 को आवेष्टित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्दाज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दसगद करें।

सपखण्ड अधिकारी पिडवा
जिला झालावाड राज